संख्या राज॰ 2-ए॥4॥-5/78
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

दिनांक शिमला-2, 15 जनवरी 1980

सेवा में,

समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इन्द्राजात के परिवर्तन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या 10-7-73/रेव-ए, तिथि 3-7-73 की और दिलाकर मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के नाटिस में आया है कि उपरोक्त चिठी में हिदायत की तामील में पटवारियों ने कब्जा काशत के इन्द्राजात विशेष रूप से मुजारियत के सम्बन्ध में भारी संख्या में फैसिलस तबदील किए है और बहुत अर्सा बीतने पर भी यह इन्द्रजात फैन्सली ही खसरा गिरदावरी में है । और अभी तक रैवेन्यू अफसरों ने जांच के उपरान्त इन के विषय में कोई आदेश नहीं दिए । इस से मालकान म मुजारयान में तनाव हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि ऐसे फैन्सली इन्द्राज वाले इन्द्राजात के प्रकरणों का रैवेन्यू अफ्सर दौरा पर सम्बन्धि हाल में ही शीघ्र फैसला करें इस शीतकाल में ऐसे प्रकरणों को निपटाने का अभयान जारी किया जाएं ताकि दो मास के भीतर सभी प्रकरणों के निर्णय हो जाएं ।

2॰ भविष्य में पटवारी खसरा गिरदावरी में फैन्सली इन्द्राज नहीं करेंगे, बल्कि लैण्ड रिकार्ड मैन्वल में पैरा 9-9ए के अनुसार ही इन्द्राज खसरा गिरदावरी, बदलेंगे । जिसके अनुसार पटवारी गैर मुतनाजा काशत के ही इन्द्राज बदल सकते है । मुतनाजा इन्द्राजात के बारे वे मिसल भरतब करके रैवेन्यू अफसरों के आदेश लेंगे ।

उपरोक्त के अनुसार चिठी नम्बरी-10-7-73/तरमीन की जाती है ।

भवदीय,
ह॰
उप सचिव ॥राजस्व॥
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश के सभी,
जिलाधीश ।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इंद्राज की तबदीली ।

--

महोदय,

इस विभाग के उपरोक्त विषयक सम संख्यक पत्र दिनांक, 15 जनवरी, 1980 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उस पत्र के अनुसार पटवारी जिन अविवावास्पद इंद्राजात को लैंड रिकार्ड मेनुअल के पैरा 9॰9 के अनुसार बदलेगा उन की पडताल गिरदावर शत प्रतिशत मामलों में मौका पर करेगा । फिर इन की 25 प्रतिशत पड़ताल रैवेन्यू अफसर भी करेंगे ।

2॰ यदि ऐसे मामलों में पटवारी या कोई दूसरा कर्मचारी कोई गलत इन्द्राज बदलेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ।

3॰ भविष्य में मुजारों को मलकीयत केवल इंतकाल द्वारा ही दी जाएगी । ऐसे मौका पर दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

4॰ सम्बन्ध रूल्ज में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है परन्तु उपरोक्त आदेशों का पालन तुरन्त किया जाए।

भवदीय,
ह॰
अवर सचिव ॥राजस्व॥
हिमालच प्रदेश सरकार

सं॰राज॰2ए॥4॥-5/78 दिनांक 28-4-1980 शिमला-2
प्रतिलिपि उचित कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

1. निदेशक भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4
2. मंडलायुक्त कांगडा-धर्मशाला,/शिमला-2
3. बन्दोवस्त अधिकारी-कांगडा, धर्मशाला/शिमला-6
4. राजस्व "क" अनुभाग ।

ह.
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

--

संख्या 10-5/73-II
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

दिनांक 4-9-1980 शिमला-2

सेवा में,

1. हिमाचल प्रदेश के सभी जिलाधीश ।
2. हिमाचल प्रदेश के सभी उप-मण्डलाधिकारी (शिष्ट)
3. हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी तहसीलदार।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इन्द्राज की तबदीली ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या राज.2-ए(4)-5/78 दिनांक 15-1-80 तथा 24-4-80 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है और इस प्रकार विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के पत्र संख्या 10-7/73 रैव.ए दिनांक, 3-7-73 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों को पुनः लागू किया जाये । अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां गिरदावरी के समय पटवारी के नोटिस में जमीन सम्बन्धी कोई तवदीली आये, वहां पटवारी ऐसी तबदीली को पैन्सील से ही दर्ज करेगा और इस की सूचना गिरदावरी के पश्चात् तहसीलदार व नावत तहसीलदार (यथा स्थिति) को लिखित रूप में देगा । इस के पश्चात् तहसीलदार या नायब तहसीदार इसकी छानबीन करके सम्बन्ध व्यक्तियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा-पूरा अवसर देकर ही करेगा । परन्तु इस सब में तीन माह से अधिक समय नहीं लगाया जायेगा । इसी अवधि में वह सारे मामलों को निर्णय कर डालेगा । निर्णय के अनुसार खसरा गिरदावरी में अमल किया जायेगा ।

भवदीय
ह.
अवर सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government Instructions regarding creation and maintenance of two pools under H.P. Village Common Lands Vesting and Utilisation Act, 1974

No.10-1/73-Rev.-B-II
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

The Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Divisional Commissioners,
   Kangra at Dharamshala/Mandi/Shimla.
2. All the D.Cs in Himachal Pradesh.
3. The Settlement Officer,
   Kangra at Dharamshala.
4. The Director,
   Land Records, H.P. Shimla-171002.